गानय व संगीत की अवैधता का संक्षेप में अवलोकन

क़ुरआन व ह़दीस, चारों धार्मिक विचारधाराओं एवं उ़लमा-ए-उम्मत की सहमति के प्रकाश में

लेखक:

शैख़ माजिद बिन सुलैमान अल-रसी

الترجمة الهندية لمقالة: (نبذة مختصرة في أدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة والمذاهب الأربعة وإجماع علماء الأمة)

لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي حفظه الله

पुस्तक का विवरण

पुस्तक का नाम: **गानय व संगीत की अवैधता का संक्षेप में अवलोकन**

क़ुरआन व ह़दीस, चारों धार्मिक विचारधाराओं एवं उ़लमा-ए-उम्मत की सहमति के प्रकाश में

लेखक: शैख़ माजिद बिन सुलैमान अल-रसी

अनुवाद: तारिक़ बदर सनाबिली

प्रकाशन वर्ष: 1442 हिजरी – 2021 इसवी

ईमेल: binhifzurrahman@gmail.com

الكتاب منشور في موقع صيد الفوائد و إسلام هاوس

https://islamhouse.com/hi/main/

http://www.saaid.net/book/list.php?cat=92

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

दासों पर अल्लाह के सर्वश्रेष्ठ वरदानों में से एक वरदान श्रवण (सुन्ना) भी है, अल्लाह तआ़ला ने दासों को इस वरदान पर पालनहार का आभारी होने का आदेश दिया है। अल्लाह का कथन है:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ.

अर्थात: " अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए कान, नयन एवं हृदय पैदा किए, परंतु तुम लोग बहुत ही कम आभार व्यक्त करते हो।"

मुस्लिम दासों को चाहिए कि वे इस वरदान पर अपनी जीभ एवं अंगों से अल्लाह का आभार व्यक्त करें वह इस प्रकार की इस वरदान को सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च अल्लाह के उन कार्यों में प्रयोग करें जो उन्हें पसंद हों, उदाहरण स्वरूप: क़ुरआन व हदीस एवं ऐसी स्वच्छ बातों को सुनना जो उसे स्वर्ग से निकट एवं नरक से दूर कर दें इसी प्रकार इसका प्रयोग ऐसी अनुमय चीज़ों को सुनने में करें जिन से मनुष्य प्रत्येक दिनों की आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायता प्राप्त करते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ वरदान -सुनने की शक्ति- की कृतघ्नता है कि इसे अल्लाह की अवैध की गई चीज़ों को सुनने में प्रयोग किया जाए, उदाहरण स्वरूप: झूठ, गाली, चुग़ली करने, इसी प्रकार गाने सुनने में क्योंकि

ये हृदय को अल्लाह पाक सर्वोच्च की आज्ञा कारिता करने से दूर कर देते हैं, एवं हृदय से क़ुरआन की प्रियता को निकाल देते हैं। प्रसन्नता प्रदान करने वाले संगीत वाद्ययंत्र के संग गाने सुनना अवैध है। इसके अवैध होने का साक्ष्य क़ुरआन व हदीस एवं उ़लमा की सहमति है।

क़ुरआन से इसकी अवैधता पर साक्ष्य:

इब्ने जरीर तबरी ने अपनी सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ि अल्लाहू अन्हो से रिवायत किया है कि जो महान उ़लमा सहाबा रज़ि अल्लाहू अ़न्हुम में से थे उनसे इस श्लोक के संदर्भ में पूछा गया:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ.

अर्थात: "कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो बुरी बातों को मोल लेते हैं के अज्ञान के साथ लोगों को अल्लाह के मार्ग से दूर हटा दें एवं उसे हंसी बनाएं।"

तो आपने फ़रमाया: "अल्लाह की क़सम जिस के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं इसका अर्थ गानय है।" आपने तीन बार यह वाक्य कहा।

इसी प्रकार इब्ने अ़ब्बास, जाबिर, इ़करमा, सेईद बिन जुबेर एवं मुजाहिद से इसी बात की प्रतिलिपि की गई है। इन बातों को इब्ने जरीर रहिमहुल्लाह ने रिवायत किया है।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह इसी आयत का उल्लेख करते हुए लिखते हैं: "जब अल्लाह तआ़ला ने अच्छे लोगों का उल्लेख किया जो अल्लाह की पुस्तक के माध्यम से निर्देश प्राप्त करते हैं एवं उसको सुनकर लाभार्थी होते हैं तो उसके पश्चात पापी लोगों का भी उल्लेख किया जो अल्लाह की बातों को सुनकर उस से लाभार्थी नहीं होते बल्कि संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य वाद्ययंत्र एवं प्रसन्न करने वाले गानय व संगीत को सुनने हेतु इच्छुक होते हैं।

ह़दीस से इसकी अवैधता पर साक्ष्य:

सहीह बुख़ारी एवं अन्य हदीस की पुस्तकों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने फ़रमाया: "नि: संदेह मेरे समुदाय में अवश्य कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्यभिचार करने, रेशमी वस्त्र पहनने, दारु पीने एवं गाने को वैध समझेंगे। (बुख़ारी:५५९०)

यह हदीस दो दृष्टिकोण से गानय एवं संगीत के अवैध होने पर साक्ष्य है:

(१) आपका कथन: "वैध समझेंगे" यह इस बात पर खुला साक्ष्य है कि गानय के संग जिन चीज़ों का उल्लेख हुआ है वे शरीअ़त में अवैध हैं। यह समुदाय उन चीज़ों को वैध समझेंगे।

(२) गानय का उल्लेख व्यभिचार करने एवं दारु पीने के संग हुआ है जिनके अवैधता निश्चित रूप से सिद्ध है।

शैख़ुल-इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "यह हदीस गानय की अवैधता पर साक्ष्य है।"

"मआ़ज़िफ़" का अर्थ शब्दकोश वालों के यहां बेकार खेलकूद के वाद्ययंत्र हैं एवं इसके भीतर संगीत के समूह वाद्ययंत्र सम्मिलित हैं। (मजमूआ़: ११/५३५)

गानय के संबंध में चारों धार्मिक विचारधाराओं के कथन:

ह़नफ़ी विचारधारा: इमाम सरख़सी ह़नफ़ी का कथन है: "किसी भी प्रकार के गानय, विलाप करने, संगीत वाद्ययंत्र, ढोल-ताशे एवं बेकार के कामों पर वेतन देना अवैध है क्योंकि यह अवज्ञा है और अवज्ञा पर वेतन की मांग करना निराधार है।" (अल-मबसूत: १६/७२, शोधकर्ता: ख़लील मुह़ियुद्दीन अल-मीस, प्रकाशक: दारुल-फ़िक्र, बैरूत)

मालिकी विचारधारा: इस्हाक़ बिन ईसा अल-त़ब्बाअ़ का कथन है: मैंने मालिक बिन अनस से प्रश्न किया मदीना वाले गानय के संदर्भ में जो लापरवाही अपनाते हैं उसका क्या हुक्म है? तो आपने फ़रमाया: "ऐसा हमारे यहां (मदीने में) दुष्ट कर्म लोग करते हैं। (इसे ख़ल्लाल ने अल-अम्र बिल-मअ़रूफ़ वन्नहि अ़निल-मुनकर पृष्ठ: ६५ में रिवायत

किया है, शोधकर्ता: यह़या मुराद, प्रकाशक: दारुल-कुतुब-अल-इल्मिय्यह, बैरूत)

शाफ़िई़ विचारधारा: इमाम नव्वी रह़िमहुल्लाह का कथन है: "संगीत अथवा नृत्य वाद्ययंत्र को नष्ट करने पर कोई प्रत्याभूति नहीं है क्योंकि ये अवैध वाद्ययंत्र हैं। इसमें कोई असहमत नहीं है। (रौज़तुत्तालिबीन: ५/४३, प्रकाशक: अल-मकतबुल-इस्लामी, बैरूत)

ह़ंबली विचारधारा: अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने पिता से गानय के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने फ़रमाया: यह ह्रदय में पाखंड को उसी तरह जन्म देता है जिस प्रकार पानी घास एवं पौधे को जन्म देता है। (अल-एलल व मअ़रिफ़तर्रिजाल: १५९८, शोधकर्ता: वसीयुल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास, प्रकाशक: मकतबतुल-ख़ानी, रियाज़)

चारों धार्मिक विचारधाराओं के कथनों का सारांश:

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह का कथन है:

"चारों इमामों का विचार यह है कि प्रत्येक प्रकार के संगीत व नृत्य वाद्ययंत्र अवैध हैं। सहीह बुख़ारी आदि में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपके समुदाय में ऐसे मनुष्य भी होंगे जो व्यभिचार करने, रेशमी वस्त्र पहनने, दारु पीने एवं गानय व संगीत को वैध समझेंगे। आप ने उल्लेख किया कि उन्हें बंदर एवं सूअर

का रूप दे दिया जाएगा। इमामों के आज़ाकारों में से किसी ने भी संगीत व नृत्य वाद्ययंत्र की अवैधता के संबंध में असहमति नहीं दी है।" (मजमूअ़: ११/५७६)

अ़ल्लामा अल्बानी रहिमहुल्लाह का कथन है: "चारों धार्मिक विचार धाराओं की इस बात पर सहमति है कि गानय व संगीत के संपूर्ण वाद्ययंत्र अवैध हैं।" (सिलसिला सहीह़ह: १/१९२) ? गानय व संगीत की अवैधता पर मुस्लिम समुदाय की सहमति:

जिन उ़लमा ने गानय व संगीत की अवैधता पर मुस्लिम समुदाय के महान ज्ञानियों की सहमति को प्रतिलिपि किया है उनमें अबुल ह़सन अल-बग़वी भी है वह लिखते हैं: "गानय व संगीत एवं बेकार के वाद्ययंत्र की अवैधता पर उम्मत की सहमति है।" (शरहुस्सुन्नह: १२/३८३)

इब्ने क़ुदामह रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "गानय व संगीत आदि के वाद्ययंत्र, उदाहरण स्वरूप: सितार, संगीत वाद्ययंत्र, बांसुरी ये सभी अवज्ञा के वाद्ययंत्र हैं; इस बात पर सहमति की जा चुकी है।" (अल-मुग़नी: १२/४७५)

वह गानय जिसमें संगीत होती है उसकी अवैधता पर विभिन्न धार्मिक विचार धाराओं के बहुत से महान ज्ञानियों ने सहमति की प्रतिलिपि की है। उदाहरण स्वरूप: इमाम

इब्ने जरीर त़बरी, अबु बक्र अल-आजुर्री, अबुत्तैय्यब त़बरी शाफ़िई, अबु अम्र एवं इब्ने सलाह रह़िमहुमुल्लाह।

उल्लेख किए गए तथ्यों से यह बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई कि गानय सुनना अवैध है एवं महा पाप है। इसका साक्ष्य क़ुरआन व हदीस एवं मुसलमानों की सहमति है। यह बात प्रसिद्ध है कि मुसलमान (सह़ाबा व ताबिई़न एवं उनके पश्चात इस्लाम के महान ज्ञानी) धर्म से संबंधित लोगों के संपूर्ण बाह्य व आंतरिक शब्दों व कर्मों का इन तीन सिद्धांतों: क़ुरआन व हदीस एवं सहमति पर तौलते हैं।

नोट:

कुछ लोग उन ज्ञानियों की बातों का सहारा लेते हैं जो गानय व संगीत को वैध कहते हैं अथवा यह कहते हैं कि यह एक विवाद पर आधारित मुद्दा है जबकि ऐसा कहने वाले की संख्या बहुत कम है। वैसे भी इसकी अवैधता पर साक्षी ग्रंथों से इन दोनों ही कथनों का खंडन होता है, क्योंकि विश्वसनीय तो वही होंगे जो तथ्यों पर आधारित हों ना कि विवाद पर। इस कारणवश की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतिरिक्त हर किसी की बात मानी भी जा सकती है एवं छोड़ी भी जा सकती है। क़ुरआन व सुन्नत का विरोध करने वाले निराधार फ़त्वों का सहारा लेने से प्रलय के दिन छुटकारा नहीं पा सकते, जैसा कि

कुछ लोगों का भ्रम है। क्योंकि अल्लाह ने ही मनुष्य को बुद्धि, कान एवं नाक प्रदान किए हैं ताकि वह सत्य एवं असत्य को समझने एवं उनके बीच अंतर करने हेतु उनका भली-भांति प्रयोग कर सकें। इसी प्रकार यह कहना भी ठुकराने योग्य है कि गानय व संगीत की अवैधता का मुद्दा एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि गानय व संगीत की अवैधता पर धार्मिक ज्ञानियों की सहमति है। इसका उल्लेख हो चुका है कि इस्लाम धर्म के ज्ञानियों की सहमति शरीअ़त का एक साक्ष्य है। इस कारणवश जो इस सहमति के विरुद्ध जाए उसका विरोध ठुकराने योग्य है। वह केवल अपने आप का प्रतिनिधि है, समूह एवं राष्ट्र का नहीं।

शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुमुल्लाह का कथन है: "जिसने यह दावा किया कि अल्लाह तआ़ला ने गानय एवं संगीत व नृत्य के वाद्ययंत्र को वैध किया है तो उसने झूठ कहा एवं बड़ी ही घृणात्मक बात कही। हम मन की इच्छा एवं दुष्टदेव की आज्ञा से अल्लाह का आश्रय मांगते हैं। इससे भी अधिक घृणात्मक एवं कठोर दोषी वह है जो गानय को मुस्तह़ब कहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अल्लाह तआ़ला से अनजान एवं अल्लाह के धर्म से अज्ञानी होने का परिणाम है बल्कि अल्लाह पर एवं उसकी शरीअ़त पर झूठ बोलने का साहस है। मुस्तह़ब केवल इतना है कि विवाह के अवसर पर महिलाएं दुफ़ बजाएं

ताकि उसकी सूचना हो सके एवं विवाह और व्यभिचार के बीच अंतर हो सके। महिलाओं के लिए इसमें कोई बाधा नहीं कि वे आपस में दुफ़ के संग गाने गाएं इस शर्त के साथ की उन गानों में ना ही पाप पर उभारा जाए एवं ना किसी आवश्यक कार्य से रोका जाए। इसके अतिरिक्त यह शर्त भी है कि इस समारोह के आयोजन में केवल महिलाएं ही हों, उसमें पुरुष का मिलाप ना हो एवं ना इतनी ध्वनि हो कि पड़ोस के लोगों को हानि पहुंचे और उन्हें अपमानजनक लगे।

कुछ लोग इसकी सूचना हेतु माइक्रोफ़ोन का प्रयोग करते हैं जो कि एक दण्डनीय कार्य है। क्योंकि इससे मुस्लिम पड़ोसियों एवं अन्य लोगों को दुख होता है। महिलाओं के लिए विवाह आदि एवं अन्य अवसरों पर दुफ़ के अतिरिक्त अन्य संगीत वाद्ययंत्र का प्रयोग करना अवैध है। उदाहरण स्वरूप: सितार, बांसुरी आदि। यह संपूर्ण वाद्ययंत्र अवैध हैं। महिलाओं को केवल दुफ़ बजाने की अनुमति दी गई है। किंतु पुरुषों के लिए इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग वैध नहीं है, ना ही विवाह के अवसर पर और ना ही अन्य अवसरों पर।" (मजमूउल-फ़तावा: ३/४२५)

द्वितीय नोट:

अल्लाह तआ़ला ने गानय को यूंही बिना किसी उद्देश्य के अवैध नहीं किया, बल्कि यह अवैधता अल्लाह की महान

बुद्धिमत्ता पर आधारित है, वह यह कि गानय व संगीत हृदय को आज्ञाकारी से दूर कर देता है। हृदय से आज्ञाकारी करने, क़ुरआन का सस्वर पाठ करने एवं क़ुरआन के भीतर बुद्धि लगाने का अभिराम करने, क़ुरआन की व्याख्या की पहचान एवं उसको जीवन में लागू करने का ब्याज समाप्त कर देता है। गानय व संगीत मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है, हृदय को अपनी ओर झुका लेता है। यही मूल कारण है कि आप देखेंगे कि गानय सुनने वाले के समक्ष जब क़ुरआन का सस्वर पाठ किया जाता है तो उसे बोझिल लगता है एवं वह सस्वर पाठ को बंद कर देता है जैसा कि क़ुरआन में इसकी विशेषता बताई गई है:

وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا

अर्थात: "वह अहंकारी होते हुए इस प्रकार मुंह फेर लेता है जैसे उसने सुना ही नहीं ऐसा लगता है कि उसके दोनों कानों में डाट लगे हुए हैं।"

इस श्लोक में "वक़्र" का अर्थ बोझ एवं बहरापन है।

यही कारण है कि इब्ने मसऊ़द रज़ि अल्लाहु अंहु गानय एवं संगीत के संदर्भ में कहते हैं: "वह उसी प्रकार हृदय में पाखंड को जन्म देता है जिस प्रकार जल घास को जन्म देता है।" (इसे अल-ख़ल्लाल ने "अस्सुन्नह" : ५/१६४७, १६४९-५० के अंतर्गत रिवायत किया है, शोधकर्ता: अह़मद अल-क़ुफ़ैली, प्रकाशक: दारुन्नसीह़ह: मदीना मुनव्वरा।)

सारांश यह कि गानय व संगीत विशेष रूप से क़ुरआन एवं सामान्य स्तर पर प्रत्येक प्रकार के अल्लाह के स्मरण से रोकता है। गानय व संगीत की प्रियता एवं क़ुरआन की प्रियता एक हृदय में नहीं समा सकतीं, उदाहरण स्वरूप इब्ने क़ैय्यिम रहि़महुल्लाह का कथन है:

حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان

अर्थात: "क़ुरआन की प्रियता एवं गानय के मिष्ठान की प्रियता एक दास के हृदय में नहीं समा सकतीं।"

इसके अतिरिक्त आपका कथन है: "आप देखेंगे कि जो व्यक्ति भी गानय व संगीत एवं संगीत वाद्ययंत्र की व्यवस्था करेगा वह शैक्षिक एवं व्यवहारिक स्तर पर निर्देश के मार्ग से भटका हुआ होगा, क़ुरआन सुनने से दूर रहेगा एवं गानय सुनने में रुचि रखेगा।" (इग़ासतुल्लहफ़ान: १/२६९, शोधकर्ता: हामिद अल-क़फ़ी।)

इसके अतिरिक्त फ़रमाते हैं: "जिसके भीतर ज्ञान की हल्की सी भी सुगंध होगी उसके हित में पूर्णतः उचित नहीं कि उसे (गानय व संगीत वाद्ययंत्र) अवैध कहने में चुप्पी धारे। इसका सर्वश्रेष्ठ हल्का हुक्म यह है कि यह पापियों एवं दारु पीने वालों का प्रतीक चिन्ह है।"
(इग़ासतुल्लहफ़ान: १/२५६-२५७)

अल्लाह को क्रोधित करने वाले कार्यों से वंचित रहना अति आवश्यक है, क्योंकि अल्लाह जब दासों को श्रवण का वरदान प्रदान करता है तो उस पर उस का आभार व्यक्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार ऐसे कार्यों में भी प्रयोग करना अवश्य है जो स्वर्ग से निकट एवं नरक से दूर कर दे। इसके अतिरिक्त वैध कार्यों में भी इसका प्रयोग करना चाहिए।

यह भी ज्ञात रखना चाहिए कि हर वह वरदान जिसे अल्लाह अपने दांतों को प्रदान करता है चाहे वह श्रवण हो अथवा कुछ और उनसे संबंधित प्रलय के दिन प्रश्न किया जाएगा कि उसने उन वरदानों के साथ कैसा व्यवहार किया यदि उसने उन वरदानों पर अल्लाह का आभार व्यक्त किया होगा वह इस प्रकार की उसने धर्म एवं संसार की भलाई हेतु उनका प्रयोग किया होगा तो उसने पूण्य का कार्य किया, एवं यदि उसने अल्लाह को क्रोधित करने वाले कार्यों में उनका प्रयोग किया तो प्रलय के दिन अल्लाह के प्रकोप से वंचित नहीं हो पाएगा। उदाहरण स्वरूप अल्लाह का कथन है:

إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولا

अर्थात: "कान नयन एवं हृदय इनमें से प्रत्येक के संबंध में प्रश्न होगा।"

इसके अतिरिक्त अल्लाह का कथन है:

لتسألن يَومَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

अर्थात: "उस दिन अति आवश्यक रूप से वरदानों के संबंध में प्रश्न होगा।"

मैंने जो उचित समझा आपके समक्ष रखने का प्रयास किया एवं सर्वश्रेष्ठ बात अल्लाह का कथन:

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا

अर्थात: "निसंदेह यह सलाह है, तो जो चाहे अपने पालनहार के मार्ग को अपनाले।"

وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا[1].

लेखक:

शैख़ माजिद बिन सुलैमान अल-रसी

१९/ सफ़र/१४४० हिज०

मोबाइल: ००९६६५०५९६७६१

ई-मेल: majed.alrassi@gmail.com

अनुवाद:

तारिक़ बदर सनाबिली

[1] इस छोटे से निबंध को तैयार करने में जिन संदर्भों एवं स्रोतों से सहायता ली गई है उनमें शैख़ मुहम्मद सालेह अल-मुन्जिद के उत्तर भी प्रस्तुत किए गए हैं जो उनके वेबसाइट (Islamqa.info) पर उपलब्ध हैं।